


15/1/2020

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुपस्थित।
बास्बार आवाज लगाने के बावजूद न तो वादी
स्वयं एवं न ही जरिए वकील उपस्थित हुआ।
फलतः न्यायालय आदेश 9 नियम 8 के तहत
वाद को खारिज करने का आदेश देता है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद
तकमिल नंबर से कम होकर दाखिलदफतर हो।


15/1/2020
(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़